कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/ S.S (jpm) **दिनांक–**

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, भभुआ
जिला– कैमूर

A.D 14.6.18

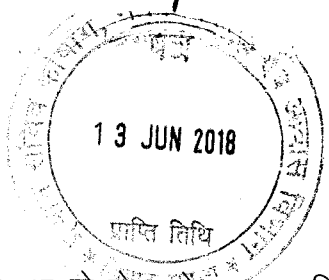

13 JUN 2018
प्राप्ति तिथि

महाशय,

नगर परिषद, भभुआ के वर्ष 2015–16 से 2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 738/17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

–ह0–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0/एस.एस.–1/श0स्था0नि0/14739/53 **दिनांक–** 11-06-2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, कैमूर

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग ★ बिहार पटना ★
पत्र पंजी
14 JUN 2018
संख्या 5826

11/06/18
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–738 / 17–18

भाग– I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम:	**नगर परिषद् भभुआ**
2	कार्यालय प्रधान का नाम एवं पदनाम:	श्री अनुभूति श्रीवास्तव, कार्यपालक पदाधिकारी
3	लेखा की अवधि:	2015–16 से 2016–17
4	लेखापरीक्षा की अवधि:	25.08.17 से 08.09.17
5	लेखापरीक्षा दल के सदस्य:	श्री राजीव कुमार –2, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री प्राण रंजन, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री सुनील कुमार–1, वरीय लेखापरीक्षक
6	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री शम्भु प्रसाद गुप्ता वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी ,
7	लेखापरीक्षा का क्षेत्र:	माह अगस्त '15 से मार्च '17 का नमूना जांच की गयी।
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं की वर्तमान स्थिति	अनुपलब्ध
9	क्या कार्यालय प्रधान से विचार विमर्श किया गया था?	हॉ

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन- नगर परिषद् भभुआ द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार ,(लेखापरीक्षा ,(बिहारकार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध /पटना लेखापरीक्षित इकाई , कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– II (क)–शून्य

भाग– II (ख)

कंडिका –1 भवन नक्शा में श्रम सेस की वसूली नहीं (राशि– रू. 14.35 लाख)

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या– वी0सी0 डब्लू0सी0–01/2008 द्वारा राज्य सरकार के सभी कार्य विभागों को यह सूचित किया गया था कि बिहार राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" का गठन दिनांक–18.02.08 को किया जा चुका है। साथ ही सभी कार्य विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे वित्तीय वर्ष 2007–08 से उनके द्वारा लिए गए योजनाओं के कुल लागत का 1 प्रतिशत सेस श्रम संसाधन विभाग के विकास भवन में गठित "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" में जमा करें।

इसके अतिरिक्त वैसे रिहायसी मकान जो निजी उपयोग के लिए बनाए गए थे और जिसकी लागत 10 लाख रूपये से अधिक था उनसे एक प्रतिशत राशि नक्शा पारित करने के समय ही वसूल कर नगर निगम अथवा नगरपालिका में जमा करना था।

साथ ही यह भी प्रावधान किया गया था कि निर्धारित समय पर सेस जमा नहीं करने पर कुल सेस का 2 प्रतिशत प्रतिमाह सूद के देनदार होंगे। साथ ही कुल शेष राशि के बराबर अर्थात एक प्रतिशत + एक प्रतिशत अर्थात कुल दो प्रतिशत सेस राशि उनसे वसूली जाएगी। प्राधिकारी जिनके द्वारा सेस जमा किया जाएगा जमा किए जाने वाले कुल उपकर राशि का एक प्रतिशत प्रशासनिक एवं अन्य खर्च हेतु व्यय कर सकेंगे।

भारत सरकार के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं मानक एकक) निर्माण भवन, नई दिल्ली के पत्रांक सं0 62/एस ई (टी ए एस) प्लिन्थ एरिया रेट्स/ 122 दिनांक 12.12.2007 के अनुसार दिनांक 01.10.2007 से नई कुरसी क्षेत्र (आधार 100 पर) दर लागू था। जिसके अनुसार प्रति फ्लोर 2.90 मी0 ऊँचाई वाले आवासीय/गैर आवासीय छः तल्ले तक के भवनों के निर्माण का लागत रू0 9000 प्रति वर्गमीटर था। इस आधार दर पर समयानुसार मूल्य सूचकांक की भी स्वीकृति दी गयी थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

पत्रांक/दिनांक	स्थल का नाम	लागू होने की तिथि	मूल्य सूचकांक
No.19(2)/CE(EZ-II)/2008/ 806 Dated 25.6.08	पटना	04/2008	122
No.19(2)/CE(EZ-II)/2009/2010 Dated 21.12.09	पटना	12/2009	147
No.19(2)/CE(EZ-II)/2011/73 Dated 12.1.11	पटना	12/2010	155
सं 19(2)/मु0अ0(पू.अं.–II)/2011/ 4648–71 दिनांक 28.12.11	पटना	12/2011	169
सं 19(2)/मु0अ0(पू.अं.–II)/2013/ 189–203 दिनांक 09.01.13	पटना	01/2013	179

वर्ष 2007 में लागू प्रति वर्गमीटर कुर्सी दर रू0 9000 के आधार दर पर 122 प्रतिशत मूल्य सूचकांक को जोड़कर वर्ष 2009 एवं 147 प्रतिशत मूल्य सूचकांक को जोड़कर वर्ष अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक की अवधि में भभुआ नगर परिषद के लिए वास्तुविदों द्वारा पारित कुल नक्शों के लागत मूल्य की गणना भभुआ नगर परिषद में संधारित 2016–17 के भवन निर्माण पंजी में दर्शाए गए आकड़ों पर आधारित है।वर्ष 2015–16 का कोई नक्शा पंजी प्रस्तुत नहीं की गयी थी। निर्माण लागत 14500 रू प्रति वर्गमीटर के आधार पर जिन भवनों का लागत मूल्य रू 10 लाख से अधिक था के गणना के आधार पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा न्यूनतम कुल रू0 1434533 के श्रम सेस के रूप में वसूल करना था। जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

वर्ष	स्वीकृत नक्शों की सं0	10 लाख रू0 से अधिक लागत मूल्य के भवनों की सं0	वसूल की जाने वाली श्रम सेस की राशि	वसूल की गयी श्रम सेस की राशि	अन्तर (4-5)	नगर परिषद कार्यालय को सेस वसूली में हुई प्रशासनिक हानि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2016–17	76	60 (दो नक्शे का क्षे0 का आंकडो उपलब्ध नहीं	1434533	शून्य	1434533	14345.33	

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– । पर संलग्न)

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. श्रम सेस की राशि रू. 1434533 वसूल नहीं किये जाने के कारणों से लेखापरीक्षा दल को अवगत कराने हेतू अनुरोध किया गया था। उपरोक्त आपत्ति के आलोक में नगरपरिषद कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि पूर्व से इस तरह की कोई भी राशि भवन नक्शा पास करने के दौरान प्राप्त नहीं की जा रही थी। अंकेक्षण के सुझाव को ध्यान में रखते हुए भविष्य में वसूली नियमानुसार जायेगी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इस संबध में नियम भारत सरकार के द्वारा 2007 में ही निर्गत किए जा चुके है। अतः अनुरोध है कि नियमानुसार वसूली की जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।
2. वर्ष 2015–16 से संबंधित नक्शा पंजी एवं नक्शा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक पंजी एवं नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अनुरोध है कि उक्त नियमानुसार श्रम सेस की गणना की जाय एवं नियमानुकूल कदम उठाये जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका–2 बगैर सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति के कर्मी के वेतन का भुगतान किया जाना (राशि– रू. 3.21 लाख)

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 36 में प्रावधान किया गया है कि धारा–41 के उपबंधों तथा नगरपालिका प्रशासन में अधिकतम संभावित मितव्ययिता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अध्यधीन, नगरपालिका में पदाधिकारियों के निम्नलिखित पद होंगे–

(1) (ख) नगर परिषद अथवा नगर परिषद के मामले में :–

(i) नगर कार्यपालक पदाधिकारी,

(ii) नगर वित्त पदाधिकारी,

(iii) नगर अभियंता,

(iv) नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी, नगर सचिव, और

(v) ऐसे अन्य पदाधिकारी जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नामोनिर्दिष्ट किया जाय; परन्तु यह कि राज्य सरकार पूर्वोक्त पदाधिकारियों के पदों की संख्या कम कर सकेगा; परन्तु यह और कि राज्य सरकार पदाधिकारियों के पूर्वोक्त किसी पद को पुनः नामोनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) उपधारा– (1) में उल्लिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति या तो नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर ऐसी अवधि के लिए की जायेगी, जैसा कि सशक्त स्थायी समिति आवश्यक समझे।

(4) उपधारा– (2) के उपबंधों के अध्यधीन विभिन्न पदों के लिए, उपधारा– (1) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों की नियुक्ति, जैसा कि विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय – (क) अधिसूचना के माध्यम से सशक्त स्थायी समिति से परामर्श कर राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से की जायेगी, जो सरकार की सेवा में हो, या रहे हों, अथवा (ख) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सशक्त स्थायी समिति द्वारा ऐसे पदाधिकारियों के बीच से की जायेगी, जो किसी नगरपालिका की नगरपालिका सेवा में हो या रहे हों, अथवा (ग) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से सशक्त स्थायी समिति द्वारा की जायेगी; परन्तु यह कि पूर्वोक्त पदों पर नियुक्ति ऐसी शर्त एवं बंधेज पर और प्रथमतः पाँच वर्षों से अनधिक अवधि के लिए की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे; परन्तु यह और कि राज्य सरकार सशक्त स्थायी समिति के परामर्श से पूर्वोक्त पदों पर नियुक्ति की अवधि समय समय पर बढ़ा सकेगी।

इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्न धाराओं में पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया गया है–

39. पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते– (1) धारा– 36 में निर्दिष्ट पदाधिकारियों समेत नगरपालिका के सभी पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को नगरपालिका निधि से वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे।

(2) नगरपालिका अपने पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए पेंशन, उपादान, भविष्य निधि, उत्प्रेरण, लाभांश, ईनाम या शास्ति अधिनियम में विनिर्दिष्ट यथाविहित नियमों, मानकों, पैमानों एवं शर्त्तों के अनुसार उपबंधित कर सकता है।

40. छुट्टी तथा अन्य सेवा शर्त्तें– नगरपालिका के सभी पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी ऐसी छुट्टी तथा अन्य लाभ अथवा बाध्यता सहित जो इस अधिनियम में विशेष रूप से उपबंधित न हो, ऐसी सेवा शर्त्तों के अध्यधीन होंगे, जैसा कि विहित किया जाय।

41. नगरपालिकाओं के लिए राज्य सरकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार ऐसी अर्हता वाले, जैसा कि इसके द्वारा अवधारित किया जाय, नगर निगम अथवा पनगरपालिका वित्त पदाधिकारी, नगर अभियंता अथवा नगरपालिका स्वास्थ्य पदाधिकारी अथवा ऐसे पदनाम वाले पदाधिकारी जैसा कि राज्य सरकार आवश्यक समझे, किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति ऐसी रीति से तथा सेवा की ऐसी शर्त्त एवं बंधेज के आधार पर कर सकेगी, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अवधारित करे। ऐसे किसी पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ता मद में व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

अधिनियम में किये गये उपर्युक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि बगैर सशक्त स्थायी समिति की सहमति के राज्य सरकार नगरपालिका निधि से व्यय किये जाने वाले पदाधिकारियों अथवा कर्मियों की नियुक्ति नहीं कर सकेगी तथा अगर राज्य सरकार इस अधिनियम के धारा 41 के अंतर्गत राज्य सरकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है तो ऐसे किसी पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ता मद में व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

लेकिन नगर परिषद्, भभुआ के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 3348 दिनांक 05.11.2014 द्वारा नगर परिषद् को चार मैन पावर सप्लाई के विरूद्ध राशि की मॉग की गयी थी। भुगतानों के जॉच में पाया गया कि निदेशक, बुडा के पक्ष में नगर परिषद्, भभुआ कार्यालय में नियुक्त किये जाने वाले चार कर्मियों का एक वर्ष के संभावित वेतन को नगरपालिका निधि अंतर्गत चतुर्थ राज्य वित्त की राशि से ड्राफ्ट सं0 190480 दिनांक 03.06.2015 से रू0 320764.00 का चेक निर्गत किया गया। चार कर्मियों के योगदान की विवरणी इस प्रकार है–

पदनाम	योगदान करने वाले कर्मी का नाम सर्वश्री	योगदान की तिथि
आई टी ऐसोसिएट	उपेन्द्र कुमार	01.12.14
सिविल अभियंता	जितेन्द्र कुमार	03.12.14
एस.डी.ए.	सुनील कुमार	11.12.14
लेखापाल	विनोद कुमार मेहता	06.01.15

अंकेक्षण दल के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं को स्पष्ट करने का अनुरोध कार्यालय को किया गया–

1. क्या सशक्त स्थायी समिति द्वारा अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत इन व्यक्तियों की नियुक्ति की सहमति राज्य सरकार को पहले दी गयी थी?
2. क्या नगर परिषद् भभुआ कार्यालय द्वारा राज्य सरकार से कर्मियों की मॉग की गयी थी?
3. सशक्त स्थायी समिति द्वारा इसकी सहमति दी गयी थी या नहीं अगर नहीं तो रू0 320764.00 का चेक नगर परिषद् कार्यालय द्वारा किस आधार पर निर्गत किया गया?
4. इस नगर पंचायत कार्यालय में उपरोक्त पद स्वीकृत है अथवा नहीं।

5. सशक्त स्थायी समिति द्वारा इस भुगतान के लिए स्वीकृति कब दी गयी थी?
6. क्या कर्मियों के योगदान करने के बाद सशक्त स्थायी समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी थी?

उक्त आपत्ति के संबंध मे नगर परिषद के द्वारा जवाब दिया गया कि बोर्ड के निर्णय के आलोक में उक्त कर्मचारियों के वेतन का भुगतान राज्य सरकार को किया गया।

कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नियुक्ति से पूर्व उक्त नियम का पालन नहीं किया एवं विभाग के द्वारा भेजे गये कर्मियों के भुगतान के लिए राशि की मॉग राज्य सरकार से न करके चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से किया गया एवं उन कर्मियों के लिए किया गया जिसकी मांग राज्य सरकार से कार्यालय के द्वारा नहीं की गयी थी। अतः राशि रू. 204673/– का अनियमित व्यय हुआ।

कंडिका–3 कम/नहीं जमा –(राशि– रू. 0.37 लाख)

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 22(1) के अनुसार नगरपालिका का कोई कर्मचारी नगरपालिका का राजस्व प्राप्त करता है तो वह उसी दिन या अगले कार्यदिवस को राशि को अधिकृत बैंक में जमा सुनिश्चित करेगा।

(क) नगर परिषद, भभुआ के वित्तीय वर्ष–2015–16 से 2016–17 तक उज्जवल कुमार पाण्डेय, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा 'एच' रसीद की राशि प्राप्त की गयी एवं दैनिक संग्रह पंजी का संधारण किया गया था, परन्तु दैनिक संग्रह पंजी के अनुसार राशि बैंक में जमा नहीं किया गया। पुनः रसीद के द्वारा प्राप्त राशि एवं बैंक में संबंधित अवधि में जमा की गई राशि के मिलान करने पर पाया गया कि वसूली की गई राशि रू. 11034993/– थी, एवं जमा की गई राशि रू. 11009450/– थी, इस प्रकार राशि रू. 25543.00 कम जमा पाई गई। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट– II पर)

अंकक्षेण टिप्पणी

1. राशि रू. 25543.00 जमा नहीं करने के कारण से लेखा परीक्षा दल को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया।

उपरोक्त आपत्ति के आलोक में नगर परिषद कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि जॉचोपरांत राशि जमा करा दी जायेगी।

(ख) श्री उज्ज्वल कुमार पाण्डेय, कम्प्यूटर ऑपरेटर का प्रॉपर्टी कर का दैनिक संग्रह पंजी एवं बैंक पासबुक के मिलान में पाया गया कि राशि 11219.00 का न तो दैनिक संग्रह पंजी में इन्द्राज ही पाया गया और न ही बैंक में जमा पायी गई। विवरण निम्नलिखित है:–

क्र0सं0	दिनांक	पी0आई0डी0 नं0	संग्रह की गई राशि	जमा की गई राशि	कम/नहीं जमा
01.	21.03.2017	208000396	9248	शून्य	9248.00
02.	20.04.2017	208002306	1735	शून्य	1735.00
03.	27.04.2017	208000301	236	शून्य	236.00
कुल			**11219.00**		**11219.00**

नियमानुसार वसूल की गई राशि को अगले कार्यदिवस तक नगर परिषद् के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए था, परन्तु राशि जमा नहीं पायी गयी।

वसूल की गई राशि रू. 11219.00 जमा नहीं किये जाने के कारण से लेखापरीक्षा को अवगत कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। उपरोक्त आपत्ति के आलोक में नगर परिषद कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि जॉचोपरांत राशि जमा की जायेगी।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि जवाब के अनुरूप कम जमा राशि रू. 36762/– (25543+ 11219) को नगर निधि में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका– 4 अंकेक्षण के दौरान जमा की गई राशि (राशि–रू. 0.18 लाख)

नगर परिषद, भभुआ के वित्तीय वर्ष–2015–16 से 2016–17 तक विभिन्न कर संग्राहकों का 'एच' रसीदों से उनके दैनिक संग्रह पंजी के जॉच करने पर पाया गया कि कुल संग्रहित की गई राशि रू. 17635.00 की प्रविष्टि न तो दैनिक संग्रह पंजी में किया गया था, और न ही रोकड़पाल रोकड़बही में भी किया गया था। यहॉ तक कि बैंक में भी नहीं जमा पाया गया। विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	दिनांक	एच रसीद सं0	सग्रहित की गई राशि	जमा की गई राशि	कम/नहीं जमा	अंकेक्षण के दौरान जमा की गई राशि	नाम
1	09.08.2017 10.08.2017	1060 1062	10291.00	शून्य	10291.00	राशि 10291 दिनांक 31.8.17 को बैंक में जमा किया गया	श्री संदीप कुमार पटेल
2	09.08.2017 24.08.2017	1260 1261	5508.00	शून्य	5508.00	राशि 5508 दिनांक 31.8.17 को बैंक में जमा किया गया	श्री रामनवमी सिंह
3	16.08.2017 16.08.2017	1608 1609	1836	शून्य	1836.00	राशि 1836 दिनांक 31.8.17 को बैंक में जमा किया गया	श्री विनोद कुमार पाठक
		कुल योग	17635	00	17635		

अंकेक्षण आपत्ति के उपरांत संबंधित व्यक्तियों के द्वारा राशि रू. 17635/– बैंक में जमा कर दिया गया। भविष्य में ससमय जमा सुनिश्चित किया जाय।

कंडिका–5 फाइबर डस्टबीन एवं हैन्डट्राली की खरीद में त्रुटि राशि (राशि–रू. 129.77 लाख)

फाइबर डस्टबीन एवं हैन्डट्राली की खरीद से संबंधित संचिका के अवलोकन में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए–

1. सामान्य बोर्ड की बैठक दिनांक 23.01.2016 के प्रस्ताव सं0 11 में सर्वसम्मति से लोहे अथवा फाइबर डस्टबीन एवं हैन्डट्राली खरीदने का निर्णय लिया गया।
2. तत्पश्चात् दैनिक समाचार पत्र 'प्रभात खबर' में दिनांक 07.04.2016 को निविदा प्रकाशित की गयी। (विज्ञापन सं.–10/15–16) निविदा के अनुसार निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथी 11. 04.16 थी एवं निविदा खोलने की अंतिम तिथि 11.04.16 ही थी।

3. निविदा के आलोक में पांच इच्छुक निविदादाता ने निविदा डाली। सभी पांच निविदादाताओं के तकनीकी निविदा पर दिनांक 11.04.2016 को विचार किया गया। विचारोपरान्त तीन सफल निविदादाता के वित्तीय निविदा पर विचार किया गया। 1. रिलायबुल 2. आदित्य 3. सोना । तकनीकी निविदा खोलने के समय सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के अलावा कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित थे।

4. वित्तीय निविदा के तुलनात्मक विवरणी पर दिनांक 13.04.16 को विचार किया गया। तुलनात्मक विवरणी के आधार पर 'सोना ट्रेडर्स, सासाराम ' का चयन निम्नलिखित सामानों के लिये किया गया। वित्तीय बीड खोलने के समय सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के अलावा कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित थे। विवरणी इस प्रकार है–

कम सं0	सामान का नाम	कम्पनी का नाम	दर प्रति पीस
1	लोहे का हैन्डट्राली, 220 किलोग्राम भार क्षमता	नीलकमल	26500/–
2	पोल माउन्टेड फाईबर डस्टबीन	नीलकमल	21200/–
3	फाइबर डस्टबीन 660 लीटर	नीलकमल	38000/–
4	फाइबर डस्टबीन 360 लीटर	नीलकमल	15200/–
	फाइबर डस्टबीन 240 लीटर	नीलकमल	11500/–

5. चयनित आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। (243/13.04.16)

6. सोना ट्रेडर्स के द्वारा डीमान्ड ड्राफ्ट सं0 000395/08.04.16 राशि रू. 100000/– जमा किया गया।

7. आपूर्ति आदेश के आलोक में आपूर्तिकर्ता के द्वारा निम्नलिखित सामानों की आपूर्ति की गयी।

कम सं0	समान का नाम	क्षमता	संख्या	वैट सहित मूल्य	बिल सं0/दिनांक
1	लोहे का हैण्डट्राली	220 किलोग्राम	35	927500.00	09/16.05.16
2	फाइबर डस्टबीन,	660 लीटर	10	380000.00	
3	फाइबर डस्टबीन,	240 लीटर	200	2300000.00	
4	पोल माउन्टेड फाईबर डस्टबीन	150×2	287	6084400.00	11/19.05.2016
5	पोल माउन्टेड फाईबर डस्टबीन	150×2	155	3286000.00	12/24.05.16
कुल				**12977900.00**	

आपूर्ति के आलोक में राशि रू. 12977900/– का भुगतान किया गया।

कम सं0	वैट सहित राशि	वैट की कटौती @5%	सुरक्षित जमा राशि की कटौती@10%	कुल भुगतान की गयी राशि	चेक सं0/दिनांक	
1	3607500.00	180375.00	180375.00	3246750.00	ए–830496/24.05.16	सुरक्षित जमा राशि की कटौती @5%
2	6084400.00	304220.00	608440.00	5171740.00	ए–830726/11.08.16	
3	3286000.00	164300.00	328600.00	2793100.00	581667/17.10.16	

अंकेक्षण टिप्पणी :–

1. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (H) के तहत 25 लाख से उपर के सामानों की खरीदारी में Advertised tender enquiry प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जिसके तहत एक ज्यादा प्रचलित दैनिक सामाचार पत्र एवं Indian Trade Journal, Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata में निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए, परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि निविदा दैनिक सामाचार पत्र 'प्रभात खबर, में दिनांक 07.04.16 को निकाली गयी। इसके अलावा 131(H)(v) के अनुसार Ordinarily the minimum time to be allowed for submission of bids should be **three weeks** from the date of publication of the tender notice or availability of the bidding documents for sale, whichever is later. Where the departments also contemplates obtaining bids from abroad the minimum period should be kept as four weeks for both domestic and foreign bidders. परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि निविदा दैनिक समाचार पत्र में 07.04.16 को निकाली गयी जिसमें निविदा डालने की अंतिम तिथि 11.04.2016 दी गयी है। अर्थात 05 दिन का ही समय दिया गया। इससे स्पष्ट पता चलता है कि उक्त नियम का पालन नहीं किया गया।
2. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (I) के अनुसार 25 लाख तक के सामानों की खरीदारी के लिए Limited tender Enquiry प्रकिया को अपनाना चाहिए जिसके तहत जिस सामान की आवश्यकता है उसके रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को कार्यालय स्वयं रजिस्टर्ड पत्र द्वारा संपर्क साधा जा सकता है या दैनिक सामाचार पत्र जो ज्यादा प्रचलन में हो उसमें निविदा निकाला जा सकता है या web based wide publicity की जानी चाहिए थी नियमावली का पालन नहीं किया गया।
3. भंडार पंजी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। भंडार पंजी अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। विदित हो कि प्रस्तुत संचिका मे केबल 448 पोल माउन्टेड डस्टबीन का अधिष्ठापन प्रमाण पत्र संलग्न पाया गया। शेष सभी सामानों का वितरण से अंकेक्षण दल को अवगत कराने का अनुरोध अंकेक्षण दल के द्वारा किया गया।

   उक्त आपत्ति का जवाब दिया गया कि बिहार सरकार के निदेशानुसार ही सूचना जनसंपर्क विभाग को निविदा प्रेषित की जाती है। कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इससे संबंधित कोई पत्र प्रमाण के रूप में दल को उपलब्ध नहीं कराया गया तथा अन्य बिन्दुओं पर कोई जवाब नहीं दिया गया।

   अतः राशि रू. 5687500/– का अनियमित व्यय किया गया।

कंडिका–6 एल.ई.डी स्ट्रीट लाइट/हाई मास्ट लाइट की खरीद में त्रुटि (राशि– रू. 56.88 लाख)

1. सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.05.15 के प्रस्ताव सं0 4 में सर्वसम्मति से प्रत्येक वार्डो में छुटे हुए वैसे स्थान जहॉ एल.ई.डी लाइट नहीं लगाई जा सकी थी वहॉ 25/45 वाट का एल.ई. डी. लाईट लगाने का निर्णय पारित किया गया।
2. तत्पश्चात् विज्ञापन सं0 01/2015–16 दिनांक 24.07.15 को दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' में निविदा निकाली गयी। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 25.07.15 थी एवं दिनांक 25.07.15 को निविदा खोलने की तिथी निर्धारित की गयी।
3. निविदा के आलोक में पांच निविदादाता ने निविदा डाली। सभी पांच निविदादाताओं के तकनीकी निविदा पर दिनांक 25.07.2015 को विचार किया गया। विचारोपरान्त दो सफल निविदादाता के वित्तीय निविदा पर दिनांक 04.08.15 को विचार किया गया। विचारोपरान्त आदित्य ट्रेडर्स, कचहरी रोड, भभुआ का चयन किया गया। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने के समय सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के अलावा कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित थे।
4. चयनित आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। (50/07.08.15)
5. आपूर्ति आदेश के आलोक में आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा 325 पीस 45 वाट का एल.ई.डी. लाइट की आपूर्ति की गयी एवं राशि रू. 5687500/– का भुगतान किया गया। विवरण इस प्रकार है–

क्रम सं0	सामान का नाम	मात्रा	दर प्रति पीस	वैट सहित राशि	वैट की कटौती @5%	कुल भुगतान की गयी राशि	चेक सं0/दिनांक
1	एल.ई.डी. लाईट	325 पीस	17500/–	5687500.00	284375.00	5403125.00	ए–830430/12.08.15

अंकेक्षण टिप्पणी :–

1. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (H) के तहत 25 लाख से उपर के सामानों की खरीदारी में Advertised tender enquiry प्रक्रिया को अपनाना चाहिए । जिसके तहत एक ज्यादा प्रचलित दैनिक सामाचार पत्र एवं Indian Trade Journal, Director General of Commercial Intelligence and Statistics , Kolkata में निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए, परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि निविदा दैनिक सामाचार पत्र 'प्रभात खबर, में दिनांक 07.04.16 को निकाली गयी। इसके अलावा 131 (H) (v) के अनुसार Ordinarily the minimum time to be allowed for submission of bids should be **three weeks** from the date of publication of the tender notice or availability of the bidding documents for sale, whichever is later. Where the departments also contemplates obtaining bids from abroad the minimum period should be kept as four weeks for both domestic and foreign bidders. परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि निविदा दैनिक समाचार

पत्र में 24.07.15 को निकाली गयी जिसमें निविदा डालने की अंतिम तिथि 25.07.2015 दी गयी है। अर्थात मात्र एक दिन का समय ही दिया गया।

2. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (I) के अनुसार 25 लाख तक के सामानों की खरीदारी के लिए Limited tender Enquiry प्रकिया को अपनाना चाहिए जिसके तहत जिस सामान की आवश्यकता है उसके रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्त्ता को कार्यालय स्वयं रजिस्टर्ड पत्र द्वारा संपर्क साधा जा सकता है या दैनिक सामाचार पत्र जो ज्यादा प्रचलन मे हो उसमें निविदा निकाला जा सकता है या web based wide publicity की जानी चाहिए। नियमावली का पालन नहीं किया गया।

3. भंडार पंजी एक महत्वपुर्ण दस्तावेज है। भंडार पंजी अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

   भंडार पंजी की अनुपलब्धता में सभी सामानों के क्रय एवं वितरण को अंकेक्षण में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। उक्त आपत्ति का जवाब दिया गया कि बिहार सरकार के निदेशानुसार ही सूचना जनसंपर्क विभाग को निविदा प्रेषित की जाती है। कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इससे संबंधित कोई पत्र प्रमाण के रूप में दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी।

   अतः राशि रू. 5687500/– का अनियमित व्यय किया गया।

कंडिका–7 मुद्रांक शुल्क की राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं (राशि–रू. 0.93 लाख)

वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 से संबंधित विभिन्न बंदोबस्ती के संचिकाओं के नमूना जॉच में पाया गया कि मुद्रांक शुल्क की राशि रू0 93325/– बंदोबस्तधारियों से वसूल की गई लेकिन राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किया गया। विवरण निम्नलिखित है–

क्रम स0	बंदोबस्ती का नाम	वर्ष	बंदोबस्ती की जमा (राशि रू0 में)	वसूल की गई मुद्रांक शुल्क (राशि रू0 में)
1	ईट गिटी एवं बालू से लदे वाहनो का फेरी शुल्क	2015–16	478455	14370
2	ब्यायी बाजार	2015–16	168561	5057
3	थ्री व्हीलर	2015–16	220000	6600
4	फोर व्हीलर	2015–16	400000	12000
5	भेंडर जोन	2015–16	811000	24330
6	टु व्हीलर	2015–16	55055	1652
7	ब्यायी बाजार एवं चार पहीया स्टैड	2016–17	622055	18662
8	थ्री व्हीलर एवं टु व्हीलर	2016–17	355145	10654
कुल			**3110271**	**93325**

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

मुद्रांक शुल्क की राशि रू 93325/– राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किये जाने के कारण से लेखापरीक्षा को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया ।

उपरोक्त आपत्ति के जवाब में नगर परिषद कार्यालय के द्वारा कहा गया कि संबंधित राशि को निबंधन कार्यालय में जमा कराया जायेगा।

अत कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि रू 93325 को राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष जमा जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका–8 बंदोबस्ती में राजस्व की हानि (राशि– रू. 0.93 लाख)

कार्यालय नगर परिषद भभुआ का वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक के लेखापरीक्षा के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में निम्नलिखित दो सैरातों का बन्दोबस्ती के लिए निविदा हेतु आदेश निर्गत किया गया था।

क्रम सं0	सैरात का नाम	बन्दोबस्ती की वार्षिक दर		कुल
		2015–16	2016–17	
1	नगर परिषद क्षेत्र में ताड़ का पेड़	1780	1566	3346
2	तीन टिकट के अंतर्गत रिक्सा, ठेला, टमटम सगरी का लाईसेंस	47583	41874	89457
	कुल	**49363**	**43440**	**92803**

संचिका के अवलोकन में पाया गया कि उपर्युक्त सैरातों की बन्दोवस्ती वर्ष 2015–16 हेतु दिनांक 04–04–15 को बन्दोवस्ती की सूचना एवं तिथि निर्धारण का आदेश प्रदान की गयी थी एवं सैरातों की बन्दोवस्ती की तिथि 07.04.15 निर्धारित की गयी थी। पुनः सैरातों की बन्दोवस्ती वर्ष 2016–17 हेतु दिनांक 31–03–16 को बन्दोवस्ती की सूचना एवं तिथि निर्धारण का आदेश प्रदान की गयी थी एवं सैरातों की बन्दोवस्ती की तिथि 11.04.16 निर्धारित की गयी थी। बन्दोवस्ती की निर्धारित तिथि को बन्दोबस्ती की गयी या नहीं अथवा डाक के लिए डाकधारी उपस्थित हुए या नहीं का उल्लेख संचिका में नहीं पाया गया।

बंदोबंस्ती नही होने के कारण राशि रू. 92803.00 की राजस्व हानि हुयी। लेखापरीक्षा दल के द्वारा यह स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया कि उपर्युक्त दिनांक को डाक हुई या नहीं अथवा डाक के लिए डाकधारी उपस्थित हुए या नहीं।

उपरोक्त आंपत्ति के जवाब में नगर परिषद कार्यालय के द्वारा इस बात से अवगत कराया गया कि बोर्ड के निर्णय के आलोक में बंदोबस्ती रद्द कर दी गयी। कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अंकेक्षण दल को इस बात से अवगत नहीं कराया गया कि किस अधिनियम या किस नियम के तहत बोर्ड स्वयं के स्त्रोत को कम या बंद कर सकता है। आगे यह भी नहीं बताया गया कि बोर्ड के इस निर्णय की संपुष्टि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से ली गयी थी अथवा नहीं।

अतः उपरोक्त बंदोबस्ती नही होने से नगर परिषद राशि रू. 92803/– के राजस्व से वंचित रहा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि हानि की राशि रू. 92803/– की वसूली संबंधित व्यक्तियों से की जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका–9 विलंब शुल्क की कटौती नहीं करने से अंधिक भुगतान (राशि– रू. 0.65 लाख)

सात निश्चय मद के योजना के तहत कियान्वित योजनाओं मे से नमूना जॉच में निम्नलिखित योजना के संचिका की जॉच की गई।

योजना सं	26/2016–17
योजना का नाम	भभुआ चैनपुर रोड से अशोक सिंह के घर तक पी सी सी रोड एवं नाली निर्माण । भभुआ वार्ड नं 03
योजना की प्राक्कलित राशि	रू 652957
एकरारनामा की राशि	रू 587661
कार्यादेश की तिथि	2.12.16
कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि	दो माह
कार्य पूर्ण करने की तिथि	30.03.17
कार्य करने में विलंब	58 (118–60)
कटौती योग्य विलंब शुल्क की राशि (प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत	रू 65296

उपरोक्त येाजना की संचिका में निविदा प्रकिया संबंधित दस्तावेज नहीं थे। केवल चयनित संवेदक से संबंधित दस्तावेज संलग्न था। संचिका में प्राक्कलन की प्रति संलग्न नहीं थी।

संचिका में उपलब्ध टिप्पणी एवं अभिलेखों के अनुसार संवेदक को येाजना कार्य हेतु समय विस्तार नहीं दिया गया था। एकरारनामा के क्लाउज 2 के अनुसार प्राक्कलन का प्रतिदिन 1/2 प्रतिशत की दर से, अधिकतम 10 प्रतिशत का विलंब शुल्क की वसूली की जानी थी क्योंकि कार्यादेश की तिथि 2.12.16 थी एवं 2 माह अर्थात 60 दिन में कार्य सम्पन्न किया जाना था किन्तु कार्य 118 दिनों पश्चात दिनांक 30.03. 17 को पूर्ण किया गया। इस प्रकार संवेदक को प्राक्कलित राशि रू 652957 का दस प्रतिशत राशि रू 65296 का विलंब शुल्क के रूप में कटौती नहीं की गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के संकल्प पत्र सं ज्ञापांक 2ब0/ मु0श0ना0ग0यो0– 30–01/2016 /1288/न0वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक 25.02.16 के द्वारा शहरी क्षेत्र में हर घर तक पक्की गली –नालियों के लिए मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्की करण निश्चय योजना के प्रर्वतन एवं कार्यान्वयन के संबंध में

बिन्दु 5 में यह उल्लेखित है कि पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली राशि की न्यूनतम 20 प्रतिशत राशि इस योजना के लिए कर्णांकित किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इस योजना का अलग खाता खोला जाएगा। पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की राशि की इस योजना हेतु कर्णांकित राशि इस खाते में रखी जाएगी। राज्य स्तर से प्राप्त होने वाली राशि भी इसी खातें में रखी जाएगी।

बिन्दु 6 के अनुसार

1. नगर निकाय बोर्ड नगर निकाय स्तर पर योजना के अनुश्रवण के लिए जिम्मेवार होंगे।
2. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी योजनाओं के अनुश्रवण की व्यवस्था करेंगें।
3. राज्य स्तर पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में एक समिति निम्नवत होगी, जो राज्य स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के रूप में कार्य करेगी।

बिन्दु 7 के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निम्न प्रावधान किये गये हैं–

1. प्रथम स्तर – निकाय स्तर पर संवेदक/प्रभारी अभियंता द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।
2. द्वितीय स्तर – जिला गुणवत्ता समन्वयक – इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनेल तैयार किया जायेगा। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय समय पर इसके संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत किया जायेगा। बिहार विकास मिशन के जिला स्तरीय परियोजना प्रबंध इकाई के विशेषज्ञों द्वारा भी अनुश्रवण किया जायेगा।
3. तृतीय स्तर– राज्य गुणवत्ता समन्वयक – इसके लिए सेवानिवृत अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता /अधीक्षण अभियंता तंथा सेवानिवृत वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों (उप सचिव स्तर एवं उपर) का राज्य स्तरीय पैनेल तैयार किया गया है। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर विस्तृत आदेश/निर्देश/ अनुदेश निर्गत किया जायेगा।
4. तृतीय पक्ष निरीक्षण– सभी योजनाओं के प्रमुख सामग्रियों यथा पाईप, पम्प आदि के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अनिवार्य होगा।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन संबंधित जानकारी संचिका में नहीं पाया गया।

उपरेाक्त तथ्यों के आलोक में लेखापरीक्षा दल के द्वारा निम्नलिखित पृच्छा की गई –

1. विलंब शुल्क रू 65296/– कटौती नहीं कर संवेदक को अधिक भुगतान किये जाने का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट किये जाने हेतु लेखापरीक्षा दल द्वारा अनुरोध किया गया। उपरोक्त पृच्छा के आलोक में नगर परिषद कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि सक्षम पदाधिकारी के मौखिक स्वीकृति के उपरांत ही कार्यपूर्ण कराया गया है। जवाब मान्य नहीं है।
2. सात निश्चय के उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन संबंधित साक्ष्य लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किये जाने हेतु लेखापरीक्षा दल द्वारा अनुरोध किया गया, किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उपलब्ध नहीं कराया गया।
3. उपरोक्त योजना से संबंधित प्राक्कलन लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किये जाने हेतु लेखापरीक्षा दल द्वारा अनुरोध किया गया परंतु लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।
4. उपरोक्त योजना से संबंधित निविदा संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किये जाने हेतु लेखापरीक्षा दल द्वारा अनुरोध किया गया, परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

अत कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि विलंब शुल्क की राशि रू. 65296/– की वसूली संबंधित व्यक्तियों से की जाय, एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय, साथ ही राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन संबंधित साक्ष्य अगले अंकेक्षण में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कंडिका–10 योजना मे अनियमित/अधिक भुगतान (राशि– रू. 1.21 लाख)

पंचम राज्य वित्त आयेाग के योजनाओं के नमूना जॉच में निम्नलिखित योजना की संचिका की जॉच की गई –

कार्य का नाम :–उमेश राय मास्टर के घर से मनेाज मास्टर के घर तक पीसीसी रेाड एवं नाली निर्माण वार्ड न0 10

मद – पंचम राज्य वित्त आयेाग अनुदान

प्राक्कलित राशि –488175/–

एकरारिक राशि :– 439357/–

कार्यादेश की तिथि– 17.01.17

कार्यपूर्ण करने हेतु दी गई अवधि – दो माह (17.03.17)

कार्य पूर्ण की तिथि:– 05.04.17

भुगतान का विवरण

विपत्र	तिथि	विपत्र राशि
प्रथम चालू विपत्र	10.02.17	355369
द्वितीय चालू विपत्र	05.04.17	83988

कुल राशि :– 439357/–

बी ओ क्यु के अनुसार ढुलाई पर प्राक्कलित व्यय एवं मापी पुस्तिका के अनुसार किया गया वास्तविक व्यय

सामान का विवरण	बी ओ क्यु के अनुसार मात्रा	मापी पुस्तिका के अनुसार मात्रा	मात्रा में अंतर	दर	बी ओ क्यु के अनुसार ढुलाई पर प्रावधानित व्यय	मापी पुस्तिका के अनुसार ढुलाई पर किया गया वास्तविक व्यय	अंतर
मिट्टी	110.2 घन मी0	381.90 घन मी0	271.7	194.36	21383	74226	52843
लेाकल सैंड	24.46 घन मी0	34.56 घन मी0	10.1	194.36	4754	6717	1963
कोर्स सैंड	15.07घन मी0	12.555 घन मी0	–2.515	881.97	13291	11073	
स्टोन चीप्स	14.21घन मी0	11.82 घन मी0	–2.39	1327.92	18870	15696	
सीमेंट	9.254 एम टी	7.73 एम टी	–1.524	257.55	2381	1991	
स्टील	0.9189 एम टी	0.759 एम टी	0.1599	257.55	237	195	
ब्रीक्स	19130	21278		555.1	10619	11811	
कुल						**121709**	**50880**

बी ओ क्यु एवं मापी पुस्तिका की तुलना में पाया गया कि बी ओ क्यु के अनुसार कार्य नहीं कराया गया। बी ओ क्यु के आईटम सं 5 के अनुसार 115 वर्ग मी का कार्य कराया जाना था एवं राशि रू. 42027/– का भुगतान निर्धारित था जबकि मापी पुस्तिका के अनुसार 197.6 वर्ग मी कार्य कराया गया एवं राशि रू. 72144/– का भुगतान इस मद में किया गया । इस प्रकार रू. 30117 (72144– 42027) रू का अधिक भुगतान किया गया। एकरारनामा के अनुसार बिल में 10 प्रतिशत की कटौती की गई थी। अतः अधिक भुगतान की राशि रू 27106/– हुई।

अंकेक्षण टिप्पणी :–

1. उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मिट्टी ढुलाई एवं लोकल सैंड की ढुलाई में बी ओ क्यु में प्रावधानित राशि से रू. 50880/– का अधिक भुगतान किया गया। एकरारनामा के अनुसार बिल में 10 प्रतिशत की कटौती की गई थी। अतः अधिक भुगतान की राशि रू. 45792/– हुई। इसका कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया।
2. बी ओ क्यु के आईटम सं 5 के विरूद्ध रू. 27106/– अधिक भुगतान किये जाने का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।
3. बी ओ क्यु के अनुसार कार्य नहीं कराये जाने के बावजूद संवेदक को भुगतान किये जाने के कारण से लेखापरीक्षा दल को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया।
4. उपरोक्त कार्य के लिए कार्य पूर्ण करने की तिथि 17.03.17 निर्धारित की गयी थी, लेकिन कार्य 05.04.17 तक पूरा किया गया। एकरारनामा के क्लाउज दो के अनुसार प्राक्कलित राशि का 1/2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत की कटौती अर्थात रू. 48817.5/– कटौती की जानी थी। लेकिन इस मद में मद में कटौती की नहीं गयी। इसका कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया।
5. संचिका में बी ओ क्यु संलग्न था। उपरोक्त योजना का प्राक्कलन लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया किन्तु निविदा संचिका प्रस्तुत नहीं की गयीं।
6. उपरोक्त योजना से संबंधित निविदा संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया किन्तु निविदा संचिका प्रस्तुत नहीं की गयीं।

नगर परिषद कार्यालय के द्वारा उपरोक्त आपत्तियों के जवाब में कहा गया कि जॉचोंपरांत कार्रवाई की जायेगी।

कार्यालय के द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है। अतः अधिक भुगतान की गयी राशि रू. 45792/– की वसूली संबंधित व्यक्तियों से की जाय एवं अन्य बिन्दु की जांच की जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराय जाय।

कंडिका–11 मोबाईल टावरों पर बकाया राशि (राशि– रू. 102.00 लाख)

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के नियम 6 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र अन्तर्गत स्थापित मोबाईल टावरों से पंजीकरण शुल्क के रुप में रू 40000 प्रति टावर तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क रू 10000 प्रति टावर प्रतिवर्ष देय है। इसके अलावा, एक ही टावर पर प्रत्येक अतिरिक्त एन्टिना के लिए 60 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क वसूलनीय है। पंजीकरण शुल्क आवेदन की स्वीकृति के तुरंत बाद देय हो जाएगा। अगर पंजीकरण शुल्क पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा। वार्षिक नवीकरण फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित एवं देय होगा। बिना रजिस्ट्रेशन एवं

नवीकरण शुल्क भुगतान किए तथा बिना नगर निगम की अनुमति के संचार टावर स्थापित किया जाना गैरकानूनी (अवैध) माना जाएगा। ऐसे टावर जिस पर पंजीकरण शुल्क और या नवीकरण शुल्क बकाया है, नगरपालिका को अधिकार है कि टावर को सील कर दे जब तक पूर्ण बकाया राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज प्राप्त न हो जाए।

परन्तु, नगर परिषद, भभुआ द्वारा अंकेक्षण में मोबाइल टावर की एक विवरणी प्रस्तुत की गयी जिससे ज्ञात हुआ 12 कम्पनियों के कुल 19 मोबाइल टावर अवस्थित थे। विवरण के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक उनके ऊपर कुल रू 10200103.00 बकाया की विवरणी निम्नलिखित थी –

टावर कंपनी की सं0	टावर पंजीकरण शुल्क की राशि	नवीकरण शुल्क	प्रत्येक अतिरिक्त ऐंटीना 60 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क	प्रत्येक अतिरिक्त ऐंटीना 60 प्रतिशत नवीकरण शुल्क	टावर पंजीकरण/नवीनीकरण एवं अतिरिक्त ऐंटीना पंजीकरण एवं नवीनीकरण पर ब्याज 1.5 प्रतिशत	कॉलम 2,3,4,5,6 का योग	पूर्व में भुगतान राशि	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	760000	1700625	480000	1125000	6394478	10460103	260000	10200103

लेखापरीक्षा टिप्पणी

मोबाइल टावरों पर कुल बकाया राशि रू 10200103.00 के वसूल नहीं किये जाने के कारण से लेखापरीक्षा को अवगत कराने का अनुरोध अंकेक्षण दल के द्वारा किया गया, उपरोक्त आपत्ति के जवाब में नगर परिषद कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि बकाया राशि रू. 10200103/– की प्राप्ति/वसूली हेतु कदम उठाये जायेंगे।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि जवाब के अनुरूप बकाया राशि रू 10200103.00 की प्राप्ति हेतु सकारात्मक एवं नियमसंगत प्रयास किये जाये एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका–12 अव्यवहृत/अवरोधित राशि (राशि– रू. 34.78 लाख)

लेखा परीक्षा में उपलब्ध सामान्य रोकड़ बही के अनुसार निम्नलिखित मद की राशि विगत कई वर्षों से अव्यवहृत/अवरोधित पड़ी हुई थी। विवरण निम्न है –

क्रम सं0	मद	31.03.15 तक राशि	तिथि जब से अवरोधित है	अवधि
1.	कैमूर बस पड़ाव	151545	01.04.2009	8वर्ष
2.	बी0आर0जी0एफ0 अनुसूचित जाति	1110154	01.08.2014	3 वर्ष
3.	बी0आर0जी0एफ0 अनुसूचित जनजाति	299832	01.01.2014	3वर्ष
4.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती	457382	01.04.2009	8 वर्ष
5.	दुकान आंवटन	622151	01.04.2015	2 वर्ष
6.	IDSMT	426864	01.04.2013	4 वर्ष
7	मुख्यमंत्री समेकित विकास योजना	409941	26.11.2014	3 वर्ष
कुल		**3477869.00**		

अंकेक्षण टिप्पणी

विभिन्न मद में आवंटित की गई राशि उसी मद में व्यय होनी चाहिए अथवा आवश्यकता न होने पर संस्वीकृत प्राधिकार को वापस किया जाना चाहिए, परंतु उपरोक्त विवरणी के अनुसार विभिन्न मद की राशि 2 से 8 वर्ष बीत जाने के बावजूद लेखा परीक्षा की तिथि तक अव्यवहृत या अवरोधित पड़ी हुई थी। राशि को सरकारी खाते में अव्यवहृत पड़े रहने से वित्तीय अनियमितता/दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस संबंध में अपने मंतव्य से लेखापरीक्षा को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया।

उपरोक्त आपत्ति के जवाब में नगर परिषद कार्यालय के द्वारा कहा गया कि विभाग से पत्राचार कर अवरोधित राषि का संबंधित में जमा करायी जायेगी।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि जवाब के अनुरूप सकारात्मक कार्रवाई की जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका–13 अग्रिम की राशि का समायोजन नहीं (राशि– रू. 2.00 लाख)

नगर परिषद भभुआ के पी एल रोकडबही के जॉच में पाया गया कि रू 200000 अग्रिम के रूप में दिया गया। विवरण इस प्रकार है–

कम सं	अग्रिम की तिथि	राशि	अग्रिम धारक	उद्देश्य
1	25.4.15	100000.00	श्री अर्जुन कुमार,कनीय अभियंता	चापाकल मरम्मति
2	27.5.15	100000.00	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, कनीय अभियंता	चापाकल मरम्मति

उपरोक्त दी गई अग्रिम की राशि रू. 200000/– का समायोजन लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु समायोजन अंकेक्षण की समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त आपत्ति के जवाब में नगर परिषद कार्यालय के द्वारा कहा गया कि कमांक संख्या 1 का अभिश्रव प्राप्त एवं पारित है परंतु रोकड़ बही में इंद्राज नहीं किया गया है। इंद्राज कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जायेगा। कसं 2 का समायोजन किया जायेगा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका–14 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत विभिन्न स्वयं सहायता समूह को प्रदान राशि (राशि–रू. 1.10 लाख)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत विभिन्न स्वयं सहायता समुह को मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने लिए राशि प्रदान की गयी। राशि उनके संबधित बैंक खातों में हस्तांतरित की गयी है। विवरणी इस प्रकार है–

क्रम सं0	स्वयं सहायता समूह का नाम	अभिश्रव सं0	दिनांक	राशि
1	शाहिद	29	23.03.17	10000.00
2	शिवजी	30	23.03.17	10000.00
3	गायत्री	31	23.03.17	10000.00
4	समा	32	23.03.17	10000.00
5	ममता	33	23.03.17	10000.00
6	सीता	34	23.03.17	10000.00
7	आशा	35	23.03.17	10000.00
8	दुर्गा	36	23.03.17	10000.00
9	महावीर	37	23.03.17	10000.00
10	गुरूदेव	38	23.03.17	10000.00
11	कृष्णा	39	23.03.17	10000.00
				110000.00

अंकेक्षण दल के द्वारा यह अनुरोध किया गया कि हस्तातंरित राशि का प्रमाण पत्र यथा राशि संबधित स्वयं समूह के खाते में हरतांतरित की गयी या नही अंकेक्षण दल को बताया जाय। इसके साथ साथ उपरलिखित स्वयं सहायता समूह के संबधित संचिका भी दल को उपलब्ध करायी जाय ताकि यह जांच किया जा सके कि राशि की हस्तांतरण अपेक्षित आदेश के बाद किया गया हैं।

उक्त आपत्ति का जवाब दिया गया कि जॉचोपरान्त महालेखाकार को सूचित कर दिया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि जवाब में अनुसार कदम उठाये जाएँ एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जाय।

कंडिका– 15 31.03.2017 को रोकडबही एवं बैंक पासबुक का अंतशेष की विवरणी

नगर परिषद् भभुआ के द्वारा प्रस्तुत की गयी रोकड़बही एवं संबंधित बैंक पासबुक का 31.03.2017 का अंतशेष विवरणी परिशिष्ट– V पर संलग्न है।

संलग्न विवरणी के क्रम सं0 3,6,7,9,13 एवं 30 में यह पाया गया कि बैंक पासबुक में रोकड़बही से अधिक राशि पायी गयी। रोकड़बही एवं बैंक पासबुक में अंतर का बैंक समाशोधन विवरणी तैयार कर अंकेक्षण दल को अवगत कराने का अनुरोध किया गया।

उक्त आपत्ति के आलोक में कार्यालय के द्वारा यह जवाब दिया गया कि बैंक समाशोधन विवरणी तैयार कर प्रेषित की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उक्त अंतशेष को बैंक समाशोधन विवरणी तैयार कर अंकेक्षण कार्यालय को प्रेषित की जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

टिप्पणी (TAN)

टिप्पणी–1 मांग बही का नियमानुकूल संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के तहत मांग बही के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किये गये है

नियम 52 के तहत नगरपालिका का यह कर्तव्य होगा कि सभी व्यक्ति विशेष तथा सामग्रियों जो कर हेतु दायी है की पहचान कर उसका अभिलेख इस प्रकार रखे जिससे व्यक्ति या सामग्रियों पर देय कर संग्रहित राशि, बकाया राशि का व्यक्तिवार/सामग्रीवार स्पष्ट वर्णन प्राप्त हो सके।

नियम 53 के मांग बही के संधारण संबंधित निम्नलिखित प्रावधान है–

1. कर देय है तथा निर्धारित द्वारा भुगतेय है तो उसका विवरण संबंधित विभाग बी एम ए आर प्रपत्र संख्या 23 में संधारित मॉग बही में रहेंगे।
2. इस मांग बही को संबंधित विभाग अद्यतन करेगा जो मांग या मांग के देय होने या किसी करदाता से संग्रहण तथा कर दाताओं पर बकाया राशि के विषय में होगा।
3. विभाग के प्रमुख/मुख्य नगरपालिका अधिकारी मासिक आधार पर सम्पत्ति या अन्य करों की मांग/ समायोजन का विवरण बी एम ए आर प्रपत्र संख्या 24 में तैयार करेंगे तथा लेखा विभाग को लेखाबहियों में उक्त समायोजन तथा बदलाव के लेखांकन हेतु भेज देंगे। किसी माह में मांग या समायोजन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में शून्य विवरण भेजा जायेगा।

नियम 54 के अनुसार अंकों में परिवर्तन वर्जित किया गया है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के लिखित आदेश या नगरपालिका परिषद के पारित प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त अधिकार के बिना मांगबही के किसी प्रविष्टि को बदला नहीं जा सकेगा। इस तरह के परिवर्तन के आदेश या प्रस्ताव में संशोधन के कारण का उल्लेख होना चाहिए तथा इसे लाल स्याही द्वारा लिखा जाना चाहिये और मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिये।

उपरोक्त नियमों के आलोक में लेखापरीक्षा दल द्वारा नगर परिषद के सम्पत्ति कर का मांग बही की मांग की गई। मांग बही प्रस्तुत नहीं की गई। हालॉकि टैक्स दरोगा द्वारा मौखिक रूप से लेखापरीक्षा दल को बताया गया कि वर्ष 2013 से मांग बही का संधारण नहीं किया जा रहा। जिससे लेखापरीक्षा दल द्वारा वास्तविक मांग के अनुरूप वसूली होने संबंधित जॉच नहीं की जा सकी।

आगे स्वकर निर्धारण आवेदन के तहत प्राप्त आवेदन के अनुसार मांग परिवर्तित किया गया जिसकी ऑनलाईन प्रविष्टि कम्प्युटर आपरेटर के द्वारा की गई। कर दाता से नकद राशि प्राप्त कर कम्प्युटर आपरेटर के द्वारा बैंक जमा किया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि स्वकर निर्धारण आवेदन के आधार पर पुराने होल्डिंग के मांग में परिवर्तन कर कम्प्युटर मे प्रविष्टि की जाती है। इस आवेदन एवं कर निर्धारण प्रकिया में कार्यपालक अधिकारी की कोई

अनुमति नहीं ली गई। स्वकर निर्धारण आवेदन के आधार पर नये मांग के निर्धारण में भी कार्यालय प्रधान का आदेश नहीं लिया गया। केवल कम्प्युटर में प्रविष्टि दर्ज कर कर दाता से राशि ली जाती है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

1. मांग बही संधारण नहीं किये जाने का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया। कार्यालय के द्वारा जवाब में कहा गया कि अंकेक्षण के सुझाव को ध्यान में रखते हुए मांग का पुनरावलोकन किया जायेगा।
2. मांग में परिवर्तन एवं नये मांग के निर्धारण में कार्यालय प्रधान की अनुमति/पर्यवेक्षण अपेक्षित थी अथवा नहीं, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया। कार्यालय के द्वारा जवाब में कहा गया कि नियमानुसार सभी प्रकियाओं का पालन किया जायेगा।
3. वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 से संबंधित सम्पति कर का कुल मांग एवं वसूली के आंकडें लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उपलब्ध नहीं कराया गया।
4. मांग बही संधारण नहीं होने की स्थिति में वसूली की निगरानी एवं आंकडों की सत्यता कैसे सुनिश्चित की जाती है के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराये गये जवाब के अनुरूप कदम उठाये जाये।

टिप्पणी– 2 ठोस अपशिष्टों के निष्पादन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 220 से 230 में ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन, संग्रहण और निष्कासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत नगरपालिका धारा–10 के उपबंधों के अध्यधीन नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली को लागू करना है। इसके अंतर्गत नगर परिषद प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव से संबंद्ध मौलिक सुविधाओं का विकास करेगा।

इस अधिनियम की धारा 224 में ठोस अपशिष्टों के निपटाव और अंतिम रूप से निपटाव हेतु स्थान नियत करने का प्रावधान किया गया है। जिसके अंतर्गत नगरपालिका या तो स्वयं या अन्य किसी अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्टों को नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत या बाहर ऐसे स्थान या स्थानों पर ऐसी तरह से निपटारा कराएगी जैसा कि वह उपर्युक्त समझे। परन्तु, यह कि ऐसे किसी स्थान, जिसका उपयोग अधिनियम के आरंभ होने के पूर्व इस धारा में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया गया हो, का उपयोग सिवाय निम्नलिखित तरह के नहीं किया जायेगा :–

(क) विकास योजना और भूमि उपयोग नियंत्रण से संबंद्ध राज्य की किसी विधि अथवा उससे संबद्धतत्समय प्रवृत्त किसी विधि उपबंधों के अनुरूप, अथवा

(ख) किसी ऐसी विधि के अभाव में राज्य सरकार के अनुमोदन से;